श्री नरेन्द्र मोदी जी,

हम किसान हैं; महिलाएं और पुरूष, जमींदार, बटाईदार, पट्टेदार, वन उत्पाद संग्राहक और भूमिहीन किसान। हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। खेतों में हम फसल उगाते हैं, वनों में उत्पाद इकट्ठा करते हैं, हम जानवर और मुर्गी, मछली, मवेशियों का पालन करते हैं। हम अपने श्रम से धरती पर जीवन को बनाए रखते हैं, फिर भी हमारा जीवन यापन बमुश्किल से हो पता है। हमें बताया जाता है कि हम अन्नदाता हैं, फिर भी हम अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते। हमें बताया जाता है की हम इस लोकतंत्र में बहुमत में हैं, फिर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है। हम में से आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, फिर भी हम अदृश्य रहते हैं। हमारा संविधान हमें जीवन का अधिकार देता है, फिर भी हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

क्यों? आखिर इस त्रासदी की वजह क्या है?

ऐसा नहीं है कि हम आलसी हैं। यकीन मानिए हम बहुत मेहनत से फसल उपजाते हैं। पिछले दस सालों में, हमने देश के खाद्य उत्पादन को डेढ़ गुना बढ़ाया है। आज जब अपने अतीत की तरफ झांकता हूँ तो यही पता हूँ की हमने देश के लिए तो काफी कुछ किया, पर देश ने सदा हमें निराश ही किया।

महाशय ! यह सिर्फ नियति का खेल नहीं है। सच बात है की वर्षों से प्रकृति किसानों को देने के सम्बन्ध में अधिक मितव्ययी साबित हुई है। इससे पहले भी हमारा सामना भयंकर सूखे, बाढ़, ओले और आशा के विपरीत जलवायु से हुई है। लेकिन यह कहाँ का न्याय है की जलवायु में बदलाव की क़ीमत हम ही चुकाएं। अन्य चीजों की तरह हम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं संरक्षण से क्यों नहीं मिलता है? कई बार जब प्रकृति हमपर मेहरबान भी होती है, और मानसून के सही रहने पर अच्छी उपज भी हो जाती है तब भी हम अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं? प्रकृति की मार से बच भी जाएं तो बाज़ार और सरकार द्वारा मारे जाते हैं।

और यह सिर्फ बाजार का मसला नहीं है। इसी बाज़ार में कंपनियां, व्यवसायी और वेतनभोगी कर्मचारी हर कोई अच्छा कमा रहे है। बाज़ार ने किसानों की निर्भरता कॉर्पोरेट पर बढ़ा दी। आज उर्वरक, कीटनाशक और बीज कंपनियां बड़ा-बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। खाद्य उद्योग और बड़े खुदरा व्यापारी भी बढ़ रहे हैं। परन्तु किसान अपनी उपज का दाम भी तय नहीं कर सकता। खेती से एक किसान परिवार औसतन 3,884 प्रति माह रुपये ही कमाता है। जो अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है ! आखिर ऐसा क्यों हो रहा है की हम जो वास्तव में सभी के पेट भरने के लिए अन्न उगाते हैं आज भूखे पेट रहने को मज़बूर हैं। खेती किसानी समाप्त होने के कगार पर है।

सालों साल से हो रहे नुकसान से अब समझ आता है की यह राज्य सरकार की नीति, लागू करने के तौर तरीके और राजनितिक इच्छाशक्ति है जो हमें लगातार इस कुचक्र में धकेल रही है। खेती किसानी के संकट और किसानों की बढ़ती आत्महत्या के पीछे सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं। आज जब

हमें सरकार से मदद की दरकार है, हमें घाटे में रहकर भी देश का पेट भरने को मजबूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से जो भी थोड़ा मिलता था वह भी ख़त्म कर हमें बाज़ार की क्रूरता और प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये जिसे विकास का मॉडल कहते हैं वह तो किसाओं को लूटने का जरिया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने 2014 में आप पर भरोसा करके वोट दिया था। हमने आपके किये वायदों पर विश्वास जताया। हमने सोचा आप हमें जमीन का हक़ दिलाएंगे, पर आपने तो जमीन में सेंधमारी की कोशिश की। बाढ़, सूखा और अन्य विपदाओं का सामना किया पर हमेशा ही राहत से महरूम रहे। उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम मिले। आज जब हमें आपसे मदद की बहुत आस थी, आपने कृषि लागत को ही कम दिया। ऊपर से नोटबंदी की मार। अब हम धोखा खाया और ठगा हुआ महसूस करते हैं।

अब हमारी तरफ से यह आखिरी अपील है, दो सूत्रीय अधिकार पत्र। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस आप अपने किये वायदों को पूरा कर दीजिये। हम खास नहीं एक आम नागरिक की जिंदगी चाहते हैं। अब हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। भारत के सुनहरे कल के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं।

हम हैं!

भारत के किसान,

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति

मांगों के हमारे दो सूत्रीय अधिकार-पत्र (चार्टर)

हम, भारत के किसान आज एक आर्थिक, पारिस्थितिक और अस्तित्व के संकट की तरफ धकेल दिए गए हैं जिसे बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमने अनाज कि पैदावार में 1.5 गुना की वृद्धि की है। अनाज, सब्जी, फल मिलाकर उत्पादन 365 करोड़ टन से बढ़कर 534 करोड़ टन हुआ है। इसी दौरान 1.5 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करना पड़ा है। हम हर बार पहले से अधिक परिश्रम करते हैं और फिर भी ऋण के जाल में फंसते जाते हैं। हम अपनी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार से अपनी आशाओं अवं इच्छाओं को पूर्ण करने की आशा रखते हैं। अतः हम बेहतर सरकारी नीतियां उनका प्रभावी क्रियान्वन एवं राजनैतिक संकल्प की अपेक्षा करते हैं ।

इसके लिए हमें नए कानून, प्रभावी नीतियों और पर्याप्त संस्थागत ढांचे की जरुरत है। इससे पहले की बहुत देर हो जाये इस भयावह संकट से तत्काल निपटने के लिए हम दो आवश्यक मांगे रख रहे हैं: (1) उचित व लाभकारी मूल्य और (2) सभी प्रकार के कर्ज़े से मुक्ति। ये दो अलग मांगें नहीं हैं: कर्ज

से मुक्ति नियमित और निश्चित आमदनी के बिना संभव नहीं है। लाभकारी आमदनी से भी मदद नहीं मिलेगी यदि हम ऋण में डूबे रहेंगे। भारतीय खेती, गांव और किसान के भविष्य के लिए इन दोनों को तुरंत और एक साथ लागू करना आवश्यक है।

पहली मांग: उचित एवं लाभकारी मूल्य:

हमें अपनी मेहनत पर उचित और लाभकारी आमदनी मिलनी चाहिए। सभी फसलों व अन्य उत्पादनों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण राष्ट्रीय किसान आयोग (2005) की अनुशंसा के मुताबिक़ उत्पादन लागत पर 50% जोड़कर करना चाहिए। भाजपा ने भी 2014 के चुनावी घोषणापत्र में किसानों को उत्पादन की लागत में 50% जोड़कर रिटर्न देने का वादा किया था। किसान खेती के लिए इनपुट की लागत और जीविकोपार्जन के साधन जुटा सके इसके लिए मनरेगा (MNREGA) एक्ट के अनुसार प्रति वर्ष प्रति परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित करना चाहिए।

1. हम मांग करते हैं?

1.1.रमेश चाँद समिति (मार्च 2015) कि सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन की लागत का सही आकलन, श्रम, समय की पूरी गणना के साथ हो।

1.2. इनपुट लागत की सही गणना के बाद लागत मूल्य में सभी फसलों और कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो की उत्पादन की वास्तविक लागत (C2) से कम कम डेढ़ गुना तय हो। जिसमे सब्ज़ी, फलों दूध, शहद, मुर्गी और मछली सहित लघु वनोपज का उत्पादन भी शामिल है।

1.3.किसानों को वास्तव में उचित और लाभकारी मूल्यों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरुरी है की एमएसपी (MSP) प्राप्त करना सभी किसानों के लिए वैधानिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

1.4. सरकार खेती की लागत को सब्सिडी, प्रोत्साहन, नवाचार आदि के माध्यम से कम करे। इनपुट मूल्य विनिमय (इनपुट कॉस्ट रेगुलेशन), शून्य लागत खेती के माध्यम से इसे किया जाना चाहिए।

1.5. वैधानिक जबाबदेही के साथ सरकार मनरेगा (MNREGA) के कानून को सुचारु रूप से लागू करे। इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन हो। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियमित रूप से इसकी ऑडिटिंग भी करवायी जाये।

2. हमारी मांगें न्यायसंगत है क्योंकि?

हम एक अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रणाली के अधीन हैं। वर्षों से जानबूझ कर कृषि उत्पादों की कीमतों को कम कर रखा गया है। जबकि खेती में लगने वाली लागत और घर चलाने के खर्चे तेजी से बढे हैं। हम अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि हमको एक आवर्ती ऋण के कुचक्र में धकेल दिया जाता है। हमको हमारे श्रम पर भी उचित आमदनी नहीं मिलती।

2.1. जमीन का किराया, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पशु व पारिवारिक श्रम की लागत के मूल्यों को कम कर आंका जाता है। परिणामस्वरूप किसानों उत्पादन लागत (कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन)वास्तविक लागत से 25% कम हो जाता है।

2.2. वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सभी फसलों और कृषि उपज को शामिल नहीं करता है। इसके बावजूद भी सरकार की मौजूदा MSP से किसानों को कुछ ख़ास लाभ नहीं मिलता। मौजूदा खरीफ 2017-18 के लिए घोषित एमएसपी महज 6% से 9% का लाभ (मार्जिन) देता है जो उत्पादन की आधिकारिक लागत (ऑफिसियल कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन C2) से कम भी है।

2.3. पहले तो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी कम होते हैं, पर वह भी किसानों को हासिल नहीं हो पाता है। प्रमुख फसलों में से 10 से ज्यादा फसलों की मंडियों/बाजारों में कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी कम है। यदि हम किसान को होने वाले असली घाटे का अनुमान लगाएं तो वो इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि अधिकांश किसानों को तो बिचौलियों, डीलरों या साहूकारों को उनके तय किये दाम पर उपज बेचना पड़ता है।

2.4. किसानों को जितना मिलना चाहिए और मौजूदा जो मिल रहा है, अगर इन दोनों कीमतों के बीच का अंतर ज्ञात करें तो किसानों को प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का नुक़सान होता है। इस प्रकार किसान अर्थव्यवस्था का रिवर्स सब्सिडी देते है।

2.5. कई व्यावसायिक फसलों के लिए लगने वाली लागत (बीजों, उर्वरकों, माइक्रोंयूट्रेंट्स, कीटनाशकों, डीजल, भूमि किराया आदि) लघु, सीमांत और काश्तकार व बटाईदार किसानों की पहुंच से बाहर है। परिणामस्वरूप उन्हें महंगे सूद वाली दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसान और पूरे समाज के हित में खाद्य कीमतों को कम रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है की सभी कृषि आदानों (inputs) की कीमतों को कम किया जाये। साथ-साथ कम बाहरी इनपुट-कृषि (low external input farming) की व्यवस्था अपनायी जाए। जिससे की अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

2.6. कभी न्यूनतम मजदूरी न दे कर, कभी न्यूनतम मजदूरी का दोबारा संशोधन न कर, कभी पुरे 100 दिन रोजगार न देकर तो कभी पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं कर सरकार मनरेगा (MNREGA) के कार्यान्वयन में भी कोताही बरतती रही है। जिससे कामगार किसानों के सामने आय का संकट उपस्थित हो जाता है।

3. उचित और लाभकारी आमदनी निश्चित करने के उपाय:

3.1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्यान योजनाओं एवं खाद्यान सम्बंधित अन्य कानून के तहत सरकारी खरीद प्रणाली का विस्तार हो। जिसमें खरीद की मात्रा भी बढ़ाई जाए। दलहन, तिलहन, बाजरा समेत कुछ अन्य फसलें भी खरीदी जाएं।

3.2. MARKFED, नेफेड (NAFED), जैसे लोक आपूर्ति विभागों के रूप में कार्यरत संस्थाओं को नियमित रूप से प्रभावी बाजार हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए एवं उन्हें आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाना चाहिए।

3.3. जब भी बाजार में फसल के मूल्य एमएसपी (MSP) से नीचे जाते हैं, किसान को अंतर मूल्य का भुगतान अंतर मूल्य भुगतान तंत्र (Deficiency Price Payment mechanism) के माध्यम से किया जाना चाहिए।

3.4. एपीएमसी (APMC) अधिनियम में विधायी परिवर्तन के द्वारा किसी भी अधिसूचित (notified) वस्तु (commodities) को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदना एक दंडनीय अपराध बनाया जाये। एपीएमसी (APMC) मार्केट्स में नीलामी एमएसपी से ऊपर शुरू होनी चाहिए।

3.5. सरकार किसानों के सामूहिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी किसान उत्पादक संस्थाओं (FPO, farmer producer organisations) का गठन व विस्तार करे, जिसमें ज्यादातर छोटे किसान को सम्मिलित किये जायें। इनको कार्यकारी एवं अन्य पूंजी (working and other capital), तथा बुनियादी ढांचे मुहैया कराये। साथ ही उनको सामूहिक विपणन (कलेक्टिव मार्केटिंग), भण्डारण, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) भी की जानकारी दी जाये।

3.6. निर्यात-आयात की नीतियां यह सुनिश्चित करे की अन्य देशों से सस्ती एवं रियायती आयाह संपत किये जाये। कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता हो और मौजूदा समझौतों की समीक्षा की जानी चाहिए।

3.7. सब्सिडी, मूल्य निगरानी और कम लागत खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए।

3.8. मनरेगा के लिए समय पर पर्याप्त धनराशी का आवंटन हो।

दूसरी मांग: कर्ज से मुक्ति

हम भारत के किसान आज एक नयी शुरुआत करते हुए मांग करते हैं की हमें कर्ज से मुक्ति डी जाये। हमें हमारी पहचान बनाये रखने के लिए क़र्ज़ मुक्ति आवश्यक है। देश में हो रहे आत्महत्याओं का तात्कालिक कारण क़र्ज़ का बोझ है। देश को किसानो का ऋण वापिस चुकाने का यही सही वक़्त हैं।

इसलिए हमारी मांग है कि सरकार संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋणों सहित सभी स्रोतों से किसानों पर बकाया सभी कृषि ऋणों से मुक्ति देना सुनिश्चित करे।

1. हम क्या मांग करते हैं?

1.1. 31 मई 2017 तक के किसानों के सभी संस्थगत और गैर संस्थागत बकाया ऋणों की एकमुश्त माफ़ी हो। इसके कार्यान्वियन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष पैकेज दिया जाये। एकमुश्त में माफ़ी के बाद बैंकों द्वारा उसी सीजन में नया लोन मिलना सुनिश्चित किया जाये।

1.2. गैर-संस्थागत कृषि ऋण को संस्थागत ऋण में बदला जाये। किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना हो जो सभी प्रकार के किसानों बटाईदार काश्तकार के ऋण का निपटारा करे। इसके साथ-साथ निजी कर्ज को बैंक ऋण में बदलने के लिए ऋण स्वैपिंग की व्यवस्था हो।

1.3. प्राकृतिक आपदा, सूखा, कीट लगने आदि से फसल ख़राब होने की दशा में, किसान फिर से क़र्ज़ में नहीं फंसे, इसलिए उसे साल किसानों को पूरा आर्थिक संरक्षण प्राप्त हो। यह आपदा राहत, फसल बीमा और किसान ऋण राहत आयोग के प्रभावी संयोजन किया जाना चाहिए।

1.4. ऋण छूट के अंतर्गत पिछले सीजन में फसल पर चुकाए गए ऋण की राशि के बराबर राशि बैंक उन किसानों के खाते में क्रेडिट करे।

1.5. बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हो। इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर 18% का ऋण छोटे एवं मध्यम किसानों को देना सुनिश्चित किया जाये।

1.6. ऋण से मुक्ति के लिए उच्च निवेश (इनपुट) कृषि को छोड़ कम निवेश (इनपुट) वाले टिकाऊ विधियों को अपनाया जाये ताकि ऋण की आवश्यकता कम से कम हो।

1.7. संस्थागत क्रेडिट सुविधाएं सीमांत किसानों, काश्तकार किसानों, बटाईदार, महिला किसानों और सहित सभी किसानों को दो वर्ष के भीतर विस्तारित की जानी चाहिए। सभी छोटे किसानों को 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए।

1.8. राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों, साहूकारों से लिए गये ऋण की एकमुश्त माफ़ी हो।

1.9. ऋण मुक्ति के दायरे में सभी किसान, काश्तकार, बटइदार, पट्टेदारमहिला एवं आदिवासी किसान शामिल हों।

2. हमारी मांगें न्यायसंगत हैं क्यूंकि?

2.1. कर्जे का बोझ आज किसानों के आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बना हुआ हैं। 1992 में 25% किसानों पर कर्ज़ा था जो कि 2016 में बढ़कर 52% हो गया है। कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 89 % से 93 % तक हो ,गया है जो की अत्यंत भयावह है।

2.2. आय के अभाव में एक साधारण किसान के लिए यह क़र्ज़ चुकाना मुश्किल लगता है। 68% किसान परिवारों की मासिक आय उनके कुल मासिक व्यय से कम है।

2.3. खेत में लगे फसल की बर्बादी, बाजार में ठीक क़ीमत का नहीं मिलना, सूखा, कुआँ, बोरवेल के सुख जाने आदि की वजह से किसान कर्ज़े के जाल में फंस जाते हैं। किसी साल जब प्राकृतिक आपदा, कीट लगने से फसल बर्बाद हो जाती है तो भी सरकार किसान को ऋण से राहत या मुआवजा नहीं देती है। तब निराश और हताश किसान आत्महत्या की राह अपनाता है।

2.4. ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार ने पिछले 50 सालों तक कीमतों को बढ़ने से रोका हैं। जबकि इनपुट लागत को रोकने, छोटे किसानों को सस्ते लोन दिलाने में नाकाम होने के साथ ही जल निकायों को पुनःस्थापित कर, "बड़े बाँध के मॉडल" को अपनाकर एवं जल-उपयोग की नीति में परिवर्तन कर सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी देने में विफल रही है।

2.5. किसान लेनदार है, देनदार नहीं। राष्ट्रीय किसान आयोग 2007 की अनुसंशा को लागू नहीं करने के कारण किसानों के 20 लाख करोड़ रूपये का भारी नुकसान हुआ हैं। जो की पिछले 10 सालों में सभी किसानों द्वारा लिए गये कर्जे से ज्यादा है।

2.6. सरकार ने कई अन्य क्षेत्रों जैसे 2009 में इंडस्ट्री को, इस साल 2017 में बैंकों को इसी तरह की ऋणमाफी एवं छूट के नाम पर मदद करती रही है। सैनिकों को OROP और सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से आर्थिक मदद की गयी। पर किसानों को देने के लिए कुछ नही है।

2.7. बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की नीतियों ने छोटे किसान, लघु किसान, बटाईदार, महिला किसान, आदिवासी किसान इत्यादि को हासिये पर धकेल दिया है। ऐसे में ऋण के लिए ये साहूकारों से उच्च ब्याज दर ऋण लेने के लिए निर्भर होते हैं।

3. इसको लागु कैसे करें?

3.1. कार्यपालिका द्वारा संसद में व्यापक ऋण माफ़ी का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इसे पास करने के बाद केंद्र सरकार और आरबीआई को इसके कार्यान्वयन करे लिए निर्देशित किये जायें।

3.2. एक किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना किया जाना चाहिए जो ऋण राहत कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र निर्मित करे। इसे एक स्थायी आयोग की तरह काम करना चाहिए जो ऋण मुक्ति, सेटलमेंट स्वैपिंग आदि मसलों पूर्णकालिक तौर पर काम करे। केरल में वर्ष 2006में गठित की गयी किसानों के ऋण राहत आयोग, ऐसी संस्थागत तंत्र के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।

3.3. प्राथमिकता के आधार पर 18% का ऋण छोटे किसानों, महिला किसानों को देना चाहिए। बटाईदार और पट्टेदार किसानों की पहचान करने और उनको पर्याप्त बैंकिंग ऋण प्रदान करने हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित किये जायें ।

3.4. आपदा राहत और फसल बीमा की नीतियों को प्रभावी एवेम सुलभ बनायीजाये। जीरो प्रीमियम पर सभी फसलों के लिए बीमा निश्चित की जाये। सभी किसान सभी प्रकार के फसलों पर सभी संकटों में बीमा की गारंटी मिले, इसे किसानों का वैधानिक अधिकार बनाया जाये।